प्रेस नोट दिनांक 19.05.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रिजवानूल रहमान उर्फ नज्जन, मादक पदार्थ तस्कर को 503.6 ग्राम हेरोइन (स्मैक) के साथ गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त के कब्जे से 503.6 ग्राम हेरोइन (स्मैक) बरामद की गई जिसकी अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 01 करोड़ 06 लाख रूपये है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूवी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 राधेश्याम यादव, उ0नि0 रामसमुझ, का0 विकास यादव एवं रिक्रूट का0 राहुल राव व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, प्रयागराज इकाई के प्रभारी उ0नि0 सत्येंद्र प्रधान, उ0नि0 विनोद कुमार, का0 आशीष यादव एवं का0 नीरज पांडे, क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार सिंह एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बाराबंकी की ओर से एक व्यक्ति बस के माध्यम से मादक पदार्थ (हेरोइन/स्मैक) लेकर गजेहड़ा जंगल की ओर आ रहा है। उक्त सूचना के आधार पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बकुलाही नदी पुलिया के पास बैरियर लगाकर बसों की सघन चेकिंग दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति रिजवानूल रहमान उर्फ नज्जन पुत्र अजीजु रहमान, निवासी कुसुंबी, पोस्ट पैगंबरपुर, थाना कोठी, जनपद बाराबंकी से तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से लगभग 503.6 ग्राम अवैध हेरोइन (स्मैक) बरामद की गई।

उक्त बरामदगी के संबंध में थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 77/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-
अभियुक्त के कब्जे से 503.6 ग्राम हेरोइन (स्मैक) बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राधेश्याम यादव, उ0नि0 रामसमुझ, का0 विकास यादव एवं रिक्रूट का0 राहुल राव व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, प्रयागराज इकाई के प्रभारी उ0नि0 सत्येंद्र प्रधान, उ0नि0 विनोद कुमार, का0 आशीष यादव एवं का0 नीरज पांडे, क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार सिंह एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ।

थाना अन्तू, जनपद- प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा गश्त/चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित अभियुक्त सोहेल के दायें पैर में लगी गोली (घायल) को किया गया गिरफ्तार-

थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत लोहंगपुर गांव का जंगल के पास थाना अन्तू पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अभियुक्त के दायें पैर में गोली लगी/गिरफ्तार किया गया।

घायल अभियुक्त सोहेल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ भेजा गया है-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 04 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री अभिषेक सिंह सिरोही, उ0नि0 सचिन यादव, उ0नि0 रविन्द्र यादव, हे0का0 इरफान, का0 प्रदीप, का0 लाखन सिंह के गश्त/चेकिंग के दौरान थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत लोहंगपुर गांव का जंगल के पास गश्त/चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 120/2026 धारा 137(2), 70(2), 3(5), 127(2) बीएनएस, 5G/6 पाक्सो एक्ट एवं धारा 3(2)5, 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त सोहेल पुत्र निजाम निवासी खमपुर, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में अभियुक्त के दायें पैर में लगी गोली (घायल) को गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 04 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस, बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सोहेल पुत्र निजाम निवासी खमपुर, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 22 वर्ष।

पुलिस टीम-
थाना प्रभारी अभिषेक सिंह सिरोही, उ0नि0 सचिन यादव, उ0नि0 रविन्द्र यादव, हे0का0 इरफान, का0 प्रदीप, का0 लाखन सिंह थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा "दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व अपहरण" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गुलजार अहमद को गिरफ्तार किया गया-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह मोड बस स्टेंड के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूवी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में थाना पट्टी के उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का0 अभिनव नारायण सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 64(1)/137(2)/87 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त गुलजार अहमद पुत्र अजीज अहमद निवासी वार्ड नं0 06 सधईपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 31 वर्ष को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह मोड बस स्टेंड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. गुलजार अहमद पुत्र अजीज अहमद निवासी वार्ड नं0 06 सधईपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 31 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का0 अभिनव नारायण सिंह थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा "हत्या के प्रयास" के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय से आगे रानीगंज कैथोला पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 16.05.2026 को वादिनी निवासी ग्राम बेवली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर वादिनी के पति के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे व धारदार हथियार से मारपीट की गई। घटना में वादिनी के पति को गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके

संबंध में थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 100/2026 धारा 3(5)/118(1)/110/352/351(3) बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 110 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री मो0 आफताब आलम (परिवीक्षाधीन आईपीएस) के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 संजय यादव बहमराह उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला, रि0का0 विनय कुमार, रि0का0 पंकज कुमार, रि0का0 सूरज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 100/2026 धारा 3(5)/118(1)/109(1)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 03 वांछित अभियुक्त 1.रवि कुमार पुत्र रामबहादुर उम्र करीब 23 वर्ष 2.सतीश पुत्र रामबहादुर उम्र करीब 30 वर्ष 3.परमाननंद पुत्र स्व0 बेनीमाधव उम्र करीब 36 वर्ष नि0गण ग्राम बेवली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत प्राथमिक विद्यालय से आगे रानीगंज कैथोला पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि हम लोगों के द्वारा वादिनी के पति के साथ मारपीट की गयी थी जिस पर हम लोगों के खिलाफ थाने पर मुकदमा लिख गया है इसी मुकदमें में पकड़े जाने के डर के कारण भागना चाह रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. रवि कुमार पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम बेवली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।
02. सतीश पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम बेवली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।
03. परमाननंद पुत्र स्व0 बेनीमाधव उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम बेवली थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 संजय यादव बहमराह उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला, रि0का0 विनय कुमार, रि0का0 पंकज कुमार, रि0का0 सूरज कुमार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

कुण्डा पुलिस की बड़ी कार्यवाही : चोरी के 01 मोबाइल सहित 03 देशी बम नाजायज के साथ अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू नाई गिरफ्तार, पीरानगर पुलिया के पास से दबोचा गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 अदद मोबाइल व 03 अदद देशी बम नाजायज बरामद किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 17.05.2026 को लरू ग्रामीणांचल इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी परिसर में डिलीवरी मैन का मोबाइल फोन डिलीवरी वाहन से चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में उगापुर निवासी राजू नाई को मोबाइल चोरी करते हुए देखा गया। इस सं ंबंध में थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डे के नेतृत्व में उ0नि0 मृत्युंजय पांडेय मय हमराह का0 प्रवीण कुमार, का0 अतुल, रि0 का0 अंकुर मौर्य द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 303(2)/317(2) BNS व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त 1.राजकुमार उर्फ राजू नाई पुत्र रामलाल निवासी ग्राम उगापुर थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष को चोरी के 01 अदद मोबाइल व 03 अदद देशी बम नाजायज के साथ थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत पीरानगर वाले रास्ते के पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू नाई के कब्जे से चोरी का 01 अदद मोबाइल व 03 अदद देशी बम बरामद किये गये। उक्त बरामदगी के संबंध में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की बढोत्तरी की गई।

पूछताछ विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया की मेरे पास एक मोबाइल फोन चोरी किया हुआ है जिसे मैंने लरू गैस एजेंसी से चोरी किया था इसके संबंध में पुलिस मुझे तलाश कर रही थी। मोबाइल के कवर में रखे पैसे के संबध में पूछने पर बताया कि साहब दारु इत्यादि में खर्च हो गए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. राजकुमार उर्फ राजू नाई पुत्र रामलाल निवासी ग्राम उगापुर थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी-
चोरी के 01 अदद मोबाइल व 03 अदद देशी बम नाजायज बरामद।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 मृत्युंजय पांडेय मय हमराह का0 प्रवीण कुमार, का0 अतुल, रि0 का0 अंकुर मौर्य थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।